2017/30

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत,न्याय आपके द्वार/कैम्प कोर्ट)

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपालसिंह (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / 28 / 2017

दायर दि0 22/5/17
फैसल दि0 22/5/17

अनवान

श्री पूनीया पिता कुरजी मीणा खिरोला (वादी) बनाम भूमिधारी (तहसीलदार) (प्रतिवादी)

वादी श्री पूनीया पिता कुरजी मीणा ने वाद प्रस्तुत कर मोजा नादिया के खाता नम्बर 74 जमाबन्दी सं0 2073-76 में अंकित स्वयं/पिता का नाम पूनीया पिता धाना मीणा गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम पूनीया पिता कुरजी मीणा है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम पूनीया पिता धाना मीणा दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है।

प्रार्थी द्वारा स्वंय/पिता का सही नाम पूनीया पि कुरजी मीणा होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र एंव पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया जाता है कि मोजा खिरोला की जमाबन्दी संवत 2073-76 के खाता संख्या 74 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम पूनीया पिता धाना मीणा में संशोधन कर सही नाम पूनीया पिता कुरजी मीणा दर्ज रेकार्ड किया जावे। निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner